



10/11. 10-2067

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 521] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 1977/अग्रहायणा 17, 1899

No. 521] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 1977/AGRAHAYANA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 8th December 1977

S.O. 827 (E).—In exercise of the powers conferred by section 205 of the Income-tax Act, 1961 : (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Ninth amendment) Rules, 1977.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 1978.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 116, in sub-rule (1), for the letters and figures "Rs. 400", the letters and figures "Rs. 1000" shall be substituted.
3. In Appendix II to the principal rules, —
 - (1) in Form No. 1,—
 - (a) in Part I, in item 6, for the figures and brackets "71, 73(1)", the figures, letter and brackets "71, 72A, 73(1)" shall be substituted ;
 - (b) Part III shall be omitted;
 - (c) Part IV shall be re-numbered as Part III;
 - (d) Note 3 below the Verification shall be omitted;

(e) in Annexure C, in Part I,—

(A) in Sub-Part B, in item 3,—

(i) sub-items (f), (g) and (h) shall be re-lettered as sub-items (g), (h) and (i) respectively and before sub-item (g) as so re-lettered, the following sub-item shall be inserted, namely :—

“(f) Rural development allowance—sec. 35CC”;

(ii) for sub-items (i) and (j), the following sub-items shall be substituted, namely :—

(j) Entertainment expenditure—sec. 37(2) and (2A)

(k) Expenditure on advertising, maintenance of guest houses and travelling on employees—sec. 37(3) and (4)/rules 6B and 6D”;

(iii) sub-items (k) to (n) shall be re-lettered as sub-items (l) to (o) respectively ;

(B) in Sub-Part C, in column (18), below the words “Investment allowance claimed”, the brackets and words “(also indicate rate %)” shall be inserted ;

(f) in Annexure D, in Part II,—

(i) for the words, figures and letters

“Deduct : Amount exempt under section 53, 54B or 54D”, the following shall be substituted, namely :—

“Deduct : Amount exempt under section 53, 54B, 54D or 54E

Balance

Add : Amount deemed to be income chargeable under the head “Capital gains”—
section 54E(2)

(ii) in Note 2, for the figures “1-1-54”, the figures “1-1-1964” shall be substituted ;

(g) in Annexure F, in Part I, items 3 to 12 shall be re-numbered as items 4 to 13 respectively and before item 4 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—

“3. Profits and gains from newly established small-scale industrial undertaking in certain areas
8oHHA”;

(h) in Annexure H, in item 3,—

(i) for the words “rent, interest, commission, ”, the words “rent, commission,” shall be substituted ;

(ii) for the words “four hundred rupees ”, the words “one thousand rupees” shall be substituted ;

(2) in Form No. 2,—

(a) in Annexure D, in Part I,—

(i) in Sub-Part B, in item 3,—

(A) sub-items (f), (g) and (h) shall be re-lettered as sub-items (g), (h) and (i) respectively and before sub-item (g) as so re-lettered, the following sub-item shall be inserted, namely :—

(f) Rural development allowance—sec. 35CC”;

(B) for sub-items (i) and (j), the following sub-items shall be substituted, namely :—

“(j) Entertainment expenditure—sec. 37(2) and (2A)

(k) Expenditure on advertising, maintenance of guest houses and travelling of employees—sec. 37(3) and (4)/rules 6B and 6D” ;

(C) sub-items (k), (l) and (m) shall be relettered as sub-items (l), (m) and (n) respectively ;

(ii) in Sub-Part C, in column (18), below the words “Investment allowance claimed”, the brackets and words “(also indicate rate %) ” shall be inserted ;

(b) in Annexure E, in Part II,—

(i) for the words, figures and letters “Deduct : Amount exempt under section 53, 54, 54B or 54D”, the following shall be substituted, namely :—

“Deduct : Amount exempt under section 53, 54, 54B, 54D or 54 E

Balance

Add : Amount deemed to be income chargeable under the head “Capital gains”—
section 54E(2)

(ii) in Note 2, for the figures “1-1-54”, the figures “1-1-1964” shall be substituted ;

(c) in Annexure G, in Part I,—

- (i) items 3 to 11 shall be re-numbered as items 4 to 12 respectively and before item 4 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :—

“3. Profits and gains from newly established small-scale industrial undertakings in certain areas 8oHHA”;

- (ii) in item 12 as so re-numbered, for the figures and letters “8oRR, 8oS”, the figures and letters “8oRR, 8oRRA, 8oS” shall be substituted ;

(d) in Annexure I, in item 6,—

- (i) for the words “rent, interest, commission,” the words “rent, commission,” shall be substituted ;

- (ii) for the words “four hundred rupees”, the words “one thousand rupees” shall be substituted ;

(3) in Form No. 3, in Annexure C, in Part II,—

- (i) for the words, figures and letters “Deduct : Amount exempt under section 53, 54, or 54B”, the following shall be substituted, namely :—

‘Deduct : Amount exempt under section 53, 54, 54B or 54E
Balance

Add : Amount deemed to be income chargeable under the head “Capital gains”—
section 54E(2)

- (ii) in Note 2, for the figures “1-1-54”, the figures “1-1-1964” shall be substituted ;

(4) in Form No. 3A,—

- (a) in Part I, in item 6, for the figures and brackets “71, 73(i)”, the figures, letter and brackets “71, 72A, 73(i)” shall be substituted ;

(b) in Annexure C, in Part I,—

(i) in Sub-Part B, in item 3,—

- (A) sub-items (f), (g) and (h) shall be re-lettered as sub-items (g), (h) and (i) respectively and before sub-item (g) as so re-lettered, the following sub-item shall be inserted, namely :—

“(f) Rural development allowance—sec. 35CC” ;

- (B) for sub-item (i) and (j), the following sub-items shall be substituted, namely :—

“(j) Entertainment expenditure—sec. 37(2) and (2A)

(k) Expenditure on advertising, maintenance of guest houses and travelling of employees—sec. 37(3) and (4)/rules 6B and 6D” ;

- (C) sub-item (k) to (n) shall be relettered as sub-items (i) to (o) respectively ;

- (ii) in Sub-Part C, in column (18), below the words “Investment allowance claimed”, the brackets and words “(also indicate rate %)” shall be inserted ;

(c) in Annexure D, in Part II,—

- (i) for the words, figures and letters “Deduct : Amount exempt under section 53, 54, 54B or 54D”, the following shall be substituted, namely :—

‘Deduct : Amount exempt under section 53, 54, 54B, 54D or 54E
Balance

Add : Amount deemed to be income chargeable under the head

“Capital gains”—

section 54E(2)

- (ii) in Note 2, for the figures “1-1-54”, the figures “1-1-1964” shall be substituted ;

(d) in Annexure G,—

- (i) for the portion beginning with the word and letter “ANNEXURE G” and ending with the words “PRE-PAID TAXES”, the following shall be substituted, namely :—
“ANNEXURE G : STATEMENT OF PRE-PAID TAXES :”

- (ii) for the word and figure “Note 1”, at both the places where they occur, the word “Note” shall be substituted ;

- (iii) Part II shall be omitted ;

- (iv) Note 2 shall be omitted ;

(c) in Annexure K, in item 3,—

(i) for the words "rent, interest, commission," the words "rent, commission," shall be substituted;

(ii) for the words "four hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted;

(5) in Form No. 50, for the letters and figures "Rs. 400", the letters and figures "Rs. 1,000" shall be substituted.

[No. 2067 /F. No. 142/22/77-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.

Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1977

का० आ० 827(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम आय-कर (9वां संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 116 के उपनियम (1) में "400 रु०" अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "1000 रु०" अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों के उपाबन्ध 2 में—

(1) प्ररूप सं० 1 में—

(क) भाग 1 में, मद 6 में "71, 73(1)" अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "71, 72क, 73(1)" अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) भाग 3 का लोप किया जाएगा;

(ग) भाग 4 को भाग 3 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा;

(घ) सत्यापन के नीचे टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

(ङ) उपाबन्ध ग में, भाग 1 में,—

(क) उपभाग ख में, मद 3 में—

(i) उपमद (च), (छ) और (ज) को उपमद (छ), (ज) और (झ) के रूप में क्रमशः अंकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अंकित उपमद (छ) के पूर्व निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(च) ग्राम विकास मोक—

द्वारा 35गग";

(ii) उपमद (झ) और (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित उपमदें रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(झ) सत्कार व्यय—

धारा 37(2) और (2क)

(ज) विज्ञापन पर, अतिथि गृह बनाए रखने पर और कर्मचारियों की यात्रा-भत्ते पर व्यय—

धारा 37(3) और (4), नियम 6ख और 6घ”;

(iii) उपमद (ट) से लेकर (ढ) तक को क्रमशः उपमद (ठ) से लेकर (ण) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा;

(ख) उपभाग ग में, स्तम्भ (18) में “दावा किया गया विनियोजन मोक” “शब्दों के नीचे “(प्रतिशत दर का उल्लेख भी कीजिए)” कोष्ठक” और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(च) उपाबन्ध घ में, भाग 2 में,—

(i) “कटौती कीजिए: धारा 53, 54ख और 54घ के अधीन छूट की रकम” शब्दों अक्षर और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“कटौती कीजिए: धारा 53, 54ख, 54घ और 54ङ

के अधीन छूट की रकम

अतिशेष

जोड़िए: “पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभाष समझा गई आय की रकम—

धारा 54 ड (2)

(ii) टिप्पण 2 में “1.1.54” अंकों के स्थान पर “1.1.1964” अंक रखे जाएंगे;

(छ) उपाबन्ध च में, भाग 1 में, मद 3 में से 12 तक को क्रमशः मद 4 से 13 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित मद 4 से पूर्व निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“3. कतिपय क्षेत्रों में नए स्थापित किए गए लघु औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ 80 जजक”;

(ज) उपाबन्ध ज में, मद 3 में,—

(i) “भाटक, व्याज, कमीशन” शब्दों के स्थान पर “भाटक, कमीशन” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “चार सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “एक हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

(2) प्ररूप सं. 2 में,—

(क) उपाबन्ध घ में, भाग 1 में,—

(1) उपभाग ख में, मद 3 में,—

(क) उपमद (च), (छ) और (ज) को क्रमशः उपमद (छ), (ज) और (झ)

के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अंकित उपमद छ के पूर्व निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(ज) ग्राम विकास मोके—

धारा 35 गग”;

(ख) उपमद (झ) और (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उपमदें रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(क्ष) सत्कार व्यय—

धारा 37(2) और (2क)

(ज) विज्ञापन पर, अतिथि गृह बनाए रखने पर और कर्मचारियों की यात्रा-भत्ता पर व्यय—

धारा 37(3) और (4) नियम 6ख और 6घ”;

(ग) उपमद (ट), (ठ) और (ड) को क्रमशः उपमद (ठ), (ड) और (ड) के रूप में पुनःअंकित किया जाएगा;

(ii) उपभाग ग में, स्तम्भ (18) में “दावा किया गया विनियोजन मोक” शब्दों के नीचे “(प्रतिशत दर का उल्लेख भी कीजिए)” कोठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपाबन्ध ड में, भाग 2 में,—

(i) “कटौती कीजिए” धारा 53, 54, 54ख और 54घ के अधीन छूट की रकम” शब्दों, अक्षर और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

“कटौती कीजिए धारा 53, 54, 54ख, 54घ और 54ड के अधीन छूट की रकम
अतिशेष

जोड़िए “पूँजी अभिलाम” शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझी गई आय की रकम—
धारा 54ड (2)

(ii) टिप्पण 2 में “1.1.54” अंकों के स्थान पर “1.1.1964” अंक रखे जाएंगे;

(ग) उपाबन्ध छ में, भाग 1 में—

(i) मद 3 से 11 तक को क्रमशः मद 4 से 12 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित मद 4 से पूर्व निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“3. कतिपय क्षेत्रों में नए स्थापित किए गए लघु औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ 80जजक”;

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित मद 12 में, “80दद, 80घ” अंकों और अक्षरों के स्थान पर “80दद, 80ददक, 80घ” अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) उपाबन्ध झ में, मद 6 में,—

(i) “भाटक, ब्याज, कमीशन” शब्दों के स्थान पर “भाटक कमीशन” शब्द रखे जाएंगे;

- (ii) "चार सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;
- (3) प्ररूप 3 में, उपाबन्ध ग में, भाग 2 में,—
- (i) "कटौती कीजिए : धारा 53, 54 और 54ख के अधीन छूट की रकम शब्दों" अक्षर और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
- "कटौती कीजिए : धारा 53, 54, 54ख और 54ड के अधीन छूट
- | | |
|--------|-------|
| की रकम | |
| अतिशेष | |
- जोड़िए : "पूँजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभाय समझी गई आय की रकम धारा 54ड(2)";
- (ii) टिप्पण 2 में "1.1.54" अंकों के स्थान पर "1.1.1964" अंक रखे जाएंगे
- (4) प्ररूप सं० 3क में,—
- (क) भाग 1 में, मद 6 में "71, 73(1)" अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "71, 72क. 73(1)" अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ख) उपाबन्ध ग में, भाग 1 में,—
- (i) उपभाग ख में, मद 3' में,—
- (क) उपमद (च), (छ) और (ज) को उपमद (छ), (ज) और (झ) के रूप में क्रमशः अंकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अंकित उपमद (छ) के पूर्व निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
- "(च) ग्राम विकास मोक—
धारा 35 गम";
- (ख) उपमद (झ) और (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित उपमदें रखी जाएंगी, अर्थात् :—
- "(झ) सत्कार व्यय—
धारा 37(2) और 2(क)
- (ञ) विज्ञापन पर, अतिथि गृह बनाए रखने पर और कर्मचारियों की यात्रा-भत्ते पर व्यय—
धारा 37(3) और (4), नियम 6ख और 6ब";
- (ग) उपमद (ट) से लेकर (ठ) तक को क्रमशः उपमद (ठ) से लेकर (ण) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा;
- (ii) उपभाग ग में, स्तम्भ (18) में "दावा किया गया विनियोजन मोक" शब्दों के नीचे "(प्रतिशत दर का उल्लेख भी कीजिए)" कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपाबन्ध घ में, भाग 2 में,—

- (i) “कटौती कीजिए: धारा 53, 54, 54ख और 54घ के अधीन छूट की रकम” शब्दों, अक्षर और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“कटौती कीजिए: धारा 53, 54, 54ख, 54घ अथवा 54ङ के अधीन
छूट की रकम
अतिशेष

जोड़िए: “पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभाप्य समझी गई आय की रकम ।
धारा 54ङ(2)

- (ii) टिप्पण 2 में, “1.1.54” अंकों के स्थान पर “1.1.1964” अंक रखे जाएंगे;

(घ) उपाबन्ध (छ) में,—

- (i) “उपाबन्ध छ:” शब्द और अक्षर से आरम्भ होने वाले तथा “पूर्व संदत्त कर” शब्दों से अंत होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“उपाबन्ध छ: पूर्व संदत्त करों की विवरणी”;

- (ii) “टिप्पण 1” शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आए हैं, “टिप्पण” शब्द रखा जाएगा;

(iii) भाग 2 का लोप किया जाएगा;

(iv) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ङ) उपाबन्ध ट में, मद 3 में,—

- (i) “भाटक, ब्याज, कमीशन” शब्दों के स्थान पर “भाटक, कमीशन” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “चार सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “एक हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे;

- (5) प्ररूप सं० 50 में, “400 रु०” अक्षर और अंकों के स्थान पर “1000 रु०” अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

[सं० 2067/फा सं० 142/22/77-टी पी एल]

एस० एन० शेंडे, सचिव ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1977